

प्रपत्र-अ (प्रश्नांश 'क' के लिये)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2104
खोई से लाईखेड़ी मार्ग की स्वीकृति

स. क्र.	मान. विधायक महो. का पत्र क्र.	विषय/मार्ग का नाम	माननीय विधायक के पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण	स्वीकृति कब प्रदाय की जावेगी
1	2	6	7	9
1	9/2016 21.04.2016	भीकनगढ़ वि.ख. क्षेत्रान्तर्गत खोई से लाईखेड़ी मार्ग डामरीकरण स्वीकृति करने बाबत् ।	<p>1) खोई से लाईखेड़ी मार्ग :- उक्त मार्ग का निर्माण नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण इंदिरा सागर परियोजना द्वारा अपरवेदा बांध के कारण किया गया है। मार्ग को लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन को हस्तांतरण करने के प्रस्ताव अनुसार मार्ग निर्माण में लगने वाली लागत रु. 363.28 लाख के प्राकलन मुख्य अभियंता लो.नि.वि. इंदौर के पत्र क्र. 3566 दिनांक 25.06.2016 द्वारा प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. को प्रेषित किया गया था ।</p> <p>प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल के पत्र क्र. 66/354 भोपाल दिनांक 05.08.2016 द्वारा योजना सीमा समाप्त होने के कारण प्राकलन वापस । पुनः पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग होने से प्रावधानों में परिवर्तन कर अधीक्षण यंत्री, खंडवा के पत्र क्रमांक 2679 दिनांक 07-07-2017 द्वारा प्राप्त परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राकलन परीक्षणार्थीन है ।</p>	वर्तमान में वित्तीय संस्थान की उपलब्धता सीमित होने के कारण स्वीकृति संभव नहीं है ।
2	Q/2017 28.02.2017	भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अत्यंत आवश्यक मार्ग निर्माण की स्वीकृति पदान करने बाबत् ।	<p>2) खोई बेढानिया लाईखेड़ी मार्ग - उक्त मार्ग का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदिरा सागर परियोजना द्वारा अपरवेदा बांध के कारण गिट्टीकृत मार्ग का निर्माण किया गया है। मार्ग को लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन को हस्तांतरण प्रक्रिया प्रस्ताव अनुसार मार्ग निर्माण में लगने वाली लागत रुपये 363.28 लाख के प्राकलन मुख्य अभियंता इंदौर के पत्र क्र. 3566 दिनांक 25.06.2016 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। जो इस कार्यालय के पत्र क्र. 66/354 भोपाल, दिनांक 05.08.2016 द्वारा योजना सीमा समाप्त होने के कारण प्राकलन बिना स्वीकृति के वापस किया गया है ।</p>	

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पत्र क्र. 2104]
वर्तमान में वित्तीय संस्थान की उपलब्धता सीमित होने के कारण स्वीकृति संभव नहीं है ।

[24/7/2017]